न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 69/16

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- सायल

बनाम

1. शीलादेवी पत्नी भंवरलाल सैनी साकिन भादरा।

- गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज नायब तहसीलदार भादरा : **प्रार्थी**
वकील श्री महेन्द्र जांगिड़ : **अप्रार्थीया**

निर्णय **दिनांक :** 7.5.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 14 जेजीडब्ल्यु के मुरबा नं0 58 के किला नं0 4, 7, 8, 13, 14 की कुल 1.265 है0 भूमि वर्तमान में शीलादेवी पत्नि भंवरलाल जाति सैनी साकिन भादरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार कृषि जोत के स्वरूप का परिवर्तन कर दिया गया है।

मु0नं0 58 की कुल 1.265 है0 खातेदारी भूमि में खातेदार द्वारा कृषि के लिए दी गयी जोत की शर्तो का उल्लंघन करके ईन्ट भट्टा लगाकर कृषि भूमि को अकृषि में परिर्वतन कर दिया गया है, जो काबिले सिवायचक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए।

खातेदार द्वारा विधि बिरूद्ध मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि भूमि को अकृषि कार्य में बिना सरकार की स्वीकृति लिये उक्त कार्यवाही कर रहा है। उक्त कृषि भूमि काश्त के काम में नही ली जा रही है व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। भूमि पर काबिज व्यक्ति द्वारा ईन्ट भट्टा लगाया जाकर कृषि के स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थिया ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर विशेष कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता व राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण वर्जित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ना तो किसी प्रकार से सुविधा का संतुलन को बताया है ना ही अपूरणीय क्षति के बिन्दू को स्पष्ट किया है और ना ही उसका मामला प्रथम दृष्टया बनता है। न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है जो सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। इन बिन्दुओं/प्लीडिंग के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है व आधारहीन होने के कारण काबिले खारिजी के है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पेरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि को अप्रार्थिया ईंट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य के उपयोग में ले रही है, जिससे राज्य सरकार को अपूर्णिय राजस्व हानि उठानी पड़ रही है।

वकील अप्रार्थिया ने अपने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की कोई फोटो पेश नहीं की है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाती है तो कृषि कार्य कैसे करूंगा। मैने मौके पर कृषि कार्य शुरू कर रखा है। मैं स्वच्छ हाथों से आया हूं।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थिया द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि का स्वरूप बदला जाकर खुर्द बुर्द की जा रही है। अप्रार्थिया द्वारा वादभूमि में निरन्तर अकृषि कार्य करने से भूमि का स्वरूप व प्रयोजन में बदलाव हो जाएगा, जिससे अपूरणीय क्षति की सम्भावना है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है व विधि के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थिया के विरूद्ध ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूल वाद के निर्णय तक चक 14 जेजीडब्ल्यु के मुरबा नं0 58 के किला नं0 4, 7, 8, 13, 14 की कुल 1.265 है0 भूमि को रहन बैय व दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 7.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़